



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक २०७१ / १२-१ (१) दिनांक, देहरादून, अप्रैल ८, २०१५

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

विषय:- Construction of Four lane Thano-Raipur motor road to Raipur Cricket stadium in district Dehradun- FP/UK/Road/10507/ 2015

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक २७५२ / १ जी- FP/UK/ ROAD/ 10507 / 2015 दिनांक ३१-०३-२०१५ एवं इस कार्यालय का पत्रांक-१९६८ / १२-१(१), दिनांक २७.३.२०१५

महोदय,

कृपया उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। आपके उक्त संदर्भित पत्र में वन अधिकार अधिनियम के संबंधित दस्तावेजों की तिथियों को इस कार्यालय के स्तर से छेड़-छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। उक्त आरोप से अधोहस्ताक्षरी स्तब्ध हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के स्तर से उपलब्ध करावाई गई विषयांकित प्रस्ताव में प्राप्त हार्ड कापी में वन अधिकार अधिनियम का अभिलेख जो जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदत्त है, में तीन स्तर पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में सर्व प्रथम ग्राम पंचायत स्तर की बैठक दिनांक 30.7.2014, उपजिलाधिकारी/उप खण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 19.7.2014 तथा जिलाधिकारी, देहरादून के स्तर पर प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2014 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम का दस्तावेज जिलाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाना होता है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को वन अधिकार अधिनियम का सही दस्तावेज प्रस्तावक विभाग के स्तर से अपलोड करवाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है तथा उक्त दस्तावेज की तिथियों में कांट-छांट किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग से स्थिति स्पष्ट करने एवं प्रस्तावक विभाग का स्पष्टीकरण मांगे जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को निर्देश दिये जा रहे हैं।

२- बिन्दु-२ में इंगित आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के स्तर से वन अधिकार अधिनियम का दस्तावेज प्रस्तावक विभाग से अपलोड करवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही उपरान्त तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के स्तर से प्रस्ताव ऑन लाईन इस कार्यालय को प्राप्त होने के बाद संस्तुति विषयक अभिलेख यथास्थान अपलोड किया जायेगा।

भवदीय

(आर०क०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संलग्नक-यथोपरि ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रस्तावक विभाग को ई०डी०एस० के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम का सही दस्तावेज अपलोड करवाने हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव उन्हें भेजें तथा नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के दस्तावेज में तिथियों में छेड़-छाड़ के सम्बन्ध में की गई शिकायत, की जांच हेतु प्रस्तावक विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, तथा इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि ।

(आर०क०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या : 2752/1जी-FP/UK/ROAD/10507/2015 देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक
यमुना वृत्त
देहरादून

विषय:- **Construction of Four lane Thano-Raipur motor road to Raipur Cricket Stadium in district Dehradun – FP/UK/ROAD/10507/2015**

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र सं0 2737//1जी--FP/UK/ROAD/10507/2015 दि0 30 मार्च, 2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाइन प्रेषित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के क्रम में निम्न आपत्तियों का निस्तारण कर सूचित करने का कष्ट करें:

1. उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रत्युत्तर के अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व प्रेषित वन अधिकार अधिनियम से संबंधित दस्तावेजों के तिथियों को वन संरक्षक कार्यालय के स्तर से ही छेड़छाड़ कर प्रस्तुत किया है प्रतीत होता है जो उचित नहीं है। कृपया संबंधित प्रस्तावक विभाग के माध्यम से सही दस्तावेज ऑनलाईन प्रेषित कराने का कष्ट करें।
2. वन संरक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित संस्तुति पत्र का फायल खुल नहीं रहा था के स्थान पर आपके द्वारा ₹०३०००० से पुनः संस्तुति पत्र प्रेषित किया है जब कि यह संस्तुति पत्र ऑनलाईन में निर्धारित स्थान पर ही अपलोड किया जाए।

ल.स.
आरक्षक
वन
04/04/15

संस्तुति पत्र
वन संरक्षक
दिनांक..... 04-04-15

5613
1-1

मवदीय,
फैहम
(एस.टी.एस.लेखा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी